भाजपाई गुंडागर्दी : सत्ता का नशा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

चंडीगढ़ : लड़की के छेड़खानी मामले में बेटा और उसका दोस्त जेल भेज दिए गए लेकिन हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अभी तक न तो इस्तीफा दिया और न ही इस्तीफा देने की पेशकश ही की।

राजनीति में नैतिकता व शुचिता की दुहाई देने वाली इस पार्टी का चाल और चेहरा पहली बार इतनी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि लोग हैरान हैं।

क्या थी घटना

4 अगस्त की देर रात चंडीगढ़ में हरियाणा के सीनियर आईएएस वी. एस. कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू जब अपने घर वापस आ रही थी तो एक सफेद रंग की

सफारी उसका पीछा करने लगी। बीच में इस गाड़ी ने न सिर्फ वर्णिका की गाड़ी को जबरन रोकने की कोशिश की बल्कि बगल में गाड़ी लगाकर वर्णिका की गाड़ी पर हाथ भी मारा। वर्णिका ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट चौक के पास गाड़ी को घेर लिया और थाने ले आए। सफारी गाड़ी में पुलिस को दो युवक मिले जो नशे में धुत थे। गाड़ी की तलाशी में बीजेपी और अमित शाह से जुड़ी काफी प्रचार सामग्री मिली। पुलिस वालों ने दोनों युवकों से जब उनका परिचय पूछा तो उनमें से एक ने खुद विकास बराला और आशीष कुमार बताया। विकास ने अपने पिता का भी परिचय दे दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने इतना सुनते ही जमानती धाराएं लगाई और थाने से जमानत दे दी।

5 अगस्त बराला पर भारी पड़ा। वर्णिका ने फेसबुक पर ही लिख दिया कि वह इस मामले में पीछे नहीं हटेगी और चाहे कोई कितना बड़े नेता का बेटा हो वह केस को अंजाम तक पहुंचा कर ही मानेगी। मीडिया को घटना का पता चला और उसके बाद सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाने की पुलिस को होश आया।

मामला मसालेदार था और टीआरपी बढ़ने के पूरे चांस थे तो टीवी ने इसे उछालना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ पुलिस ने पहले कहा कि रास्ते में लगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे से उसे फुटेज नहीं मिली। लेकिन फजीहत के बाद उसने माना कि फुटेज है और उसमें एक कार का पीछा सफेद सफारी कर रही है। काफी ड्रामे के बाद पुलिस ने विकास बराला व आशीष पर अपहरण के प्रयास की धारा भी लगा दी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। सफारी गाड़ी टोहाना के किसी जयदीप की है।

सुभाष बराला को कौन बचा रहा

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को 6 अगस्त को ही हटाने की तैयारी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चाहते थे कि बराला खुद ही इस्तीफा देकर पीछे हट जाएं। खुद उनकी औकात नहीं थी कि वे बराला से इस्तीफा मांगते। उन्होंने अमित शाह के सिग्नल का इंतजार किया। अमित शाह दो दिन पहले ही तीन दिवसीय हरियाणा दौरे से बराला की मेहमान-नवाज़ी से लौटे थे। शाह के सलाहकारों ने सलाह दी कि अगर अभी बराला का इस्तीफा हुआ तो बात उन तक आएगी कि वह और उनकी पत्नी की जो सेवा हरियाणा सरकार व बराला ने की है, उस वजह से वह बहुत गदगद होकर सरकार व पार्टी को क्लीन चिट देकर आए हैं। नतीजा शाह ने बराला को इस्तीफा देने से मना कर दिया। बता दें कि रोहतक के आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जहां शाह और उनकी पत्नी धार्मिक पर्यटन न करके आए हों। घुमाने की कमान बराला एंड कंपनी ने संभाली हुई थी।

बराला को रोकने की एक वजह यह भी है कि बीजेपी के पास हरियाणा में जाट नेताओं का हमेशा अभाव रहा। ताऊ देवीलाल के समय में मंगलसेन इसी वजह से मुंह की खाते रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हरियाणा का सीएम बनने का ख्वाब देख रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह को भाजपा कांग्रेस से इंपोर्ट करके लाई। छुटभैये जाट नेता बराला का कद इतना बढ़ाया गया कि उन्हें मनोहरलाल खट्टर के मुकाबले खड़ा कर दिया। बीच में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जब राज्य के हालात बिगड़े थे तब बराला को कमान सौंपने पर भी विचार हुआ। बराला खुद भी एक दिन सीएम बनने का सपना देख रहे हैं।

लेकिन देरसवेर बराला का इस्तीफा तय है। दक्षिण हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ता उन्हें अपना नेता नहीं मानते और यह बात बखूबी अमित शाह को भी पता है। लेकिन अभी बराला को हटाने का मतलब होगा हरियाणा के मृतप्राय विपक्ष को मौका देना। बराला के बेटे के कारनामे पर विपक्ष कोई सशक्त प्रदर्शन तक नहीं कर सका। इस तरह कमजोर विपक्ष भी बराला को बचाने में मददगार बना हुआ है। इंडियन नैशनल लोकदल (इनैलो) के पास कैडर होने के बावजूद वह इस मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाकर चुप हो गई। चौटाला परिवार के कारनामे भी इस मामले में आड़े आ रहे हैं।

हकीकत कैसे झुठलाएं

विकास बराला को पुलिस ने जब पकड़ा तो उन्हें नहीं मालूम था कि यह कोई बड़ी तोप है। उसकी गाड़ी से भाजपा की जो प्रचार सामग्री बरामद हुई उसे देखकर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनसे गलती यह हुई कि उन्होंने वह चीज एफआईआर में भी दर्ज कर दी। जो सफेद सफारी गाड़ी थी वह टोहाना से अमित शाह के कार्यक्रम में आई थी लेकिन बेटा उस पर दोस्त के साथ ऐश कर रहा था। भाजपा अभी तक आधिकारिक रूप से इस तथ्य का खंडन नहीं कर सकी है कि वह गाड़ी अमित शाह के कार्यक्रम में नहीं थी या उसमें भाजपा की प्रचार सामग्री नहीं थी।

बहरहाल, हरियाणा की जनता से भाजपा को वोट देने में जो गलती हुई, उसे आगे भी इसकी कीमत चुकानी होगी।

कश्मीर में मोहरे नहीं, बिसात बदलने की जरूरत

यदि शरद कुमार कश्मीर के गवर्नर बने तो वहां के पहले आईपीएस गवर्नर होंगे। उनका पलड़ा इसलिए भारी दिखता है क्योंकि हिंदुत्व आतंकी गिरोह के मुकदमों को कमजोर करने के एवज में उनका किसी न किसी रूप में पुरस्कृत किया जाना तय है।

कश्मीर में अलगाववादी राष्ट्रवाद और संघी राष्ट्रवाद की नूरां कुश्ती में, केन्द्रीय सत्ता के पिटे हुए यथास्थितिवादी मोहरे राज्यपाल एनएन वोहरा की कश्मीर से विदाई पंद्रह अगस्त के बाद लगभग तय मानी जा रही है।

इस पैंतरेबाजी से यह सन्देश भी दिया जा सकेगा कि मोदी सरकार को राज्य में अलगाववादी गिरोह को लडडू खिलाने वाले हाथ नहीं चाहिए। अन्यथा, कांग्रेसियों के लगाये वोहरा, तीन वर्ष से मोदी और मुफ्ती के बीच पुल बने हुये थे।

निवर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को मुस्लिम असुरक्षा का मुद्दा उठाने पर जी भर गरियाने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कश्मीर में सुरक्षा के नाम पर अपने मोहरे एनआइए चीफ शरद कुमार को वोहरा की खाली कुर्सी पर देखना चाहेगा। इसके लिए पिछले दो महीने से घाटी में अलगाववादियों पर एनआइए रेड का सिलसिला चलाकर माहौल बनाया जा रहा है।

दूसरी तरफ, महबूबा मुफती ने इस नूरां कुश्ती के बीच में दांव पेंच बढाते हुए यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर के विशेष दर्जे वाली संविधान की धाराओं 35 ए या 370 से कोई छेडछाड की गयी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। हडबडी में वे मोदी से भी मिल आयीं।

वोहरा की छुट्टी होने की सूरत भांपकर तमाम जनरलों और नौकरशाहों ने अपनी अर्जियां आगे बढ़ा रखी हैं। साथ ही, जब से जनरल बिपिन रावत वरिष्ठों को फलांग कर सेनाध्यक्ष बने हैं, संघी सत्ता केन्द्रों की गणेश परिक्रमा भी चल निकली है। लेकिन पलड़ा शरद कुमार का इसलिए भारी दिखता है क्योंकि हिंदुत्व आतंकी गिरोह के मुकदमों को कमजोर करने के एवज में उनका किसी न किसी रूप में पुरस्कृत किया जाना तय है।

2007 के अजमेर शरीफ हमले के मामले में एनआइए द्वारा अपने ही गवाहों को तोड़ने के बावजूद, दो संघी आतंकियों को सेशन अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। लेकिन इसी कड़ी के समझौता ट्रेन मामले में एनआइए ने लगभग सभी अभियोजन गवाह बैठा दिये हैं और इसका पूरा श्रेय शरद कुमार को दिया जा रहा है।

हिंदुत्व गिरोह के हैदराबाद मक्का मस्जिद और महाराष्ट्र मालेगांव आतंकी केसों में भी एनआइए की यही भूमिका रही है। मालेगांव मामले में तो अभियोजक ने अपने

इस पैंतरेबाजी से यह सन्देश भी दिया जा सकेगा कि मोदी सरकार को राज्य में अलगाववादी गिरोह को लडडू खिलाने वाले हाथ नहीं चाहिए. अन्यथा, कांग्रेसियों के लगाये वोहरा, तीन वर्ष से मोदी और मुफ्ती के बीच पुल बने हुये थे.

ऊपर दबाव का आरोप मीडिया के सामने भी खुल कर लगाया था।

स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, जिसके अन्य सदस्य सीजेआई और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होते हैं, तर्क दिया कि शरद कुमार की एनआइए में जरूरत है लिहाजा सीबीआई के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाये। इसकी पुष्टि ढाई साल पहले हुयी चयन समिति की बैठक के मिनिट्स से की जा सकती है।

वैसे शरद कुमार दो वर्ष पहले आईपीएस से भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 'उपयोगी' पाकर मोदी सरकार उनका कार्यकाल दो बार बढ़ाया है। भारतीय पुलिस के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहाँ एक रिटायर हो चुके अधिकारी को आपराधिक अनुसन्धान की नियमित शक्तियां मिली हुयी हैं। यदि वे कश्मीर के गवर्नर बने तो वहां के पहले आईपीएस गवर्नर होंगे।

सवाल बनता है,शरद कुमार को पुरस्कारस्वरूप कश्मीर का गवर्नर लगवा कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकार वहां हासिल क्या कर पायेंगे? उनके इस पैंतरे से देश के लिए कश्मीर की कड़वी सच्चाई बदलने नहीं जा रही। पहले भी कश्मीर में इस तरह की तमाम पहल, मूर्खता और दुस्साहस का अधकचरा नमूना ही सिद्ध हुई हैं।

ध्यान कीजिये, वाजपेयी-आडवाणी के 6 वर्ष के सत्ता दौर में भारत-पाक सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू किया गया था। इसमे देश के हजारों करोड़ लग चुके हैं, लेकिन न इससे आतंकी घुसपैठ रुकी है, न ड्रग तस्करी।

अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जीरो लाइन पर कोई सुरक्षात्मक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता। लिहाजा यह फेंसिंग सीमा से 150 गज भीतर बनाई गई है. यानी कश्मीर से गुजरात तक भारत को अपनी हजारों किलोमीटर जमीन की 150 गजचौड़ी पट्टी लावारिस छोड़नी पड़ी है, जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के बेरोक-टोक विचरण के काम आती है।

इसी प्रकार कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाली मोदी सरकार की मामले में एक इंच प्रगति भी नजर नहीं आती। जबकि, फिलहाल पाकिस्तान सीमा पर लगातार अंधाधुंध गोलीबारी के चलते जम्मू और पंजाब के हजारों भारतीय परिवार बेघर होकर अरसे से विस्थापित का जीवन जीने पर मजबूर हैं। कुछ दिन मीडिया में उनकी खबरें आयीं, पर अब पंडितों की तरह उनकी भी बात नहीं की जाती।

दरअसल, कश्मीर में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाजपाई एजेंडा राजनीतिक-सामरिक दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है और उनका बड़बोलापन बगलें झांकता घूम रहा है। केंद्र में काबिज और राज्य की सत्ता में भागीदारी के बावजूद, उत्तरोत्तर मात्र सैन्यवाद पर निर्भरता के चलते, कश्मीरियों का विश्वास भी वे खो चुके हैं।

सैन्य बल आतंकी घुसपैठियों के विरुद्ध घाटी में आज विशेष सक्रियता दिखा रहे हैं। सेना का दावा है कि इससे वहां पत्थरबाजों का आयोजन ढीला पड़ा है। हालाँकि,इसमें नया कुछ नहीं है और आंकड़ों में सफल दिखने के ऐसे राष्ट्रवादी दौर पहले भी आये-गये हैं. देखा जाये तो कश्मीरी अनिश्चितता को लेकर मूल सवाल कुछ और बनते हैं.

कश्मीर के विशेष दर्जे का सम्मान होगा या नहीं? क्या अलगाववाद को खत्म किया जा सकेगा? क्या कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को सुरक्षा और न्याय के आधार पर उलटा जा सकेगा? सबसे बढ़कर, क्या कश्मीर को लेकर भारत-पाक के बीच शांति बहाली के प्रयासों में दूरगामी सफलता मिलेगी?

वोहरा के हटने या शरद कुमार के गवर्नर लगने के बावजूद, दुर्भाग्य से, इन सब सवालों के जवाब 'न' में ही देने होंगे। कश्मीर में किसी सार्थक पहल के लिए परजीवी अलगाववादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी दोनों ही असंगत हो चुके हैं।

दरअसल कश्मीर की कुंजी भारत के विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान के सेना संस्थान के हाथ में है। उनके गहरे निहित स्वार्थ इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। वर्षों पहले से यह दो पक्षीय मामला भी नहीं रह गया, जैसा कि भारत आज तक दोहराता चला आ रहा है। वार्ताओं और युद्धों के कितने ही असफल दौर सभी ने देख लिए हैं।

न इसे किसी तटस्थ मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है, जो पाकिस्तान का स्टैंड रहा है। जितनी जल्दी हो सके, भारत और पाकिस्तान को कश्मीर को एक भू-राजनीतिक मसला मानकर वहां के स्थायित्व में अमेरिका, चीन और रूस के सम्मिलित सहयोग को मान्यता देनी चाहिए। मोहरे नहीं, कश्मीर में बिसात बदलने की जरूरत है।

अदालती कार्यवाही की भी वीडियोग्राफ़ी होगी

नई दिल्ली (म.मो.) सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री आदर्श कुमार गोयल व न्यायाधीश यू यू ललित ने एक सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि देश भर की तमाम ट्रायल फोटो में सी.सी. टीवी कैमरे लगा कर सारी कोर्ट कार्यवाही की वीडियोग्राफ़ी की जायेगी। माननीय न्यायाधीशों के अनुसार इससे अदालतों की पारदर्शिता बढेगी।

हाई कोर्टों व खुद सुप्रीम कोर्ट की वीडियोग्राफ़ी कराने में भी इन जज साहेबान को कोई हर्ज नज़र नहीं आता, लिहज़ा यहां भी ऐसी ही व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिये विधि मन्त्रालय तथा तकनीकी मन्त्रालय को लिख दिया गया है। जाहिर है ऐसा होने से बहुत से अदालती घोटालों पर अंकुश लग पायेगा। लेकिन सवाल फ़िर इन कैमरों को चलाये रखने का खड़ा होता है। हाल ही में चंडीगढ में हुए वणिका कांड में सड़कों पर लगे 26 कैमरों में से महज 3 कैमरों से ही मामले की कुछ फुटेज मिल पाई।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह वीडियोग्राफ़ी न तो किसी तीसरे पक्ष को दी जायेगी और न ही आर टी आई के द्वारा प्रदान की जायेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06